नेशनल लोक अदालत खंडपीठ कमांक 27 सिरोंज,
जिला विदिशा म0प्र0 (विजय कुमार पाण्डेय)

एस.सी.ई.एल.ई. / 38 / 2022

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि
विरूद्ध
अभियुक्त / अनावेदक धरम सिंह जाट

(आदेश दिनांक 09.05.2026)

परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित।

प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

सहायक प्रबंधक (संचा / संधा) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि राजीव रंजन ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अभियुक्त द्वारा समस्त राशि

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding	Pleader's ... necessary
	परिवादी को अदा कर दी है। अब कुछ लेन–देन शेष नहीं है। अतः वह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण समझौते के आधार पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन पत्र पर विचार किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन के माध्यम से अभियुक्त/अनावेदक **<u>धरम सिंह जाट पुत्र हमीर सिंह जाट</u>** द्वारा विद्युत राशि 20,741/–रूपये रसीद कमांक **व्ही.जी.पी.8730एफ.ई.9एल.0620** दिनांक 09.05.2026 के माध्यम से जमा कर दिया जाना प्रकट करते हुए धनराशि जमा हो जाने के कारण कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में राशि जमा किये जाने से संबंधित रसीद की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की गई है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। आवेदन में वर्णित तथ्यों से समाधान हो जाता है कि विद्युत वितरण कंपनी को अभियुक्त की ओर से धनराशि प्राप्त हो चुकी है। वह अपराध का स्वेच्छया शमन कराना चाहते है। आवेदन उचित आधारों पर प्रस्तुत है। अतः पीठ द्वारा अपराध का शमन करने की अनुमति दी जाकर कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है। फलतः अभियुक्त **<u>धरम सिंह जाट पुत्र हमीर सिंह जाट</u>** को धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त द्वारा यदि प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत किए गए हैं तो वह भारमुक्त/उन्मोचित किए जाते है। प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। (विजय कुमार पाण्डेय) न्यायिक सदस्य/पीठासीन नेशनल लोक अदालत खंडपीठ कमांक 27, सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0 श्री अख्तर खान सदस्य खंडपीठ सिरोंज	